

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 07453-230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.सं./2022-23 10988 दिनांक 28/07/22

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय:- कोटा से धरनावदा रोड वन भूमि के प्रत्यावर्तन Proposal no FP/RJ/ROAD/  
6979/2014 को प्रत्याहारित (Withdrawn) करने के संबंध में।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राज0 जयपुर के पत्र 1686 दिनांक 12.05.2022  
के क्रम में एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा के  
पत्र क्रमांक 82 दिनांक 29.04.2022 के क्रम में तथा आपका पत्र क्रमांक 4784  
दिनांक 28.07.2022 एवं 5806 दिनांक 14.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि कोटा से धरनावदा  
सडक प्रकरण को यूजर एजेन्सी द्वारा प्रत्याहारित(Withdrawn) करने हेतु निवेदन किया गया  
है। प्रस्तावित रोड पर FCA अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाया गया है। घटित वन अपराध के  
समय दोषी अधिकारीयों व कर्मचारीयों के नाम,पदनाम व वर्तमान पदस्थापन की रिपोर्ट एवं  
संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट तथा उस समय की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण की रिपोर्ट  
इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1556 दिनांक 14.02.2019 से पूर्व में प्रेषित की जा चुके है।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.सं./2022-23/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है।

1.अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।

2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां